



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित: 05/08/2020

निर्णय पारित: 14/08/2020

डब्ल्यू.पी.(227) संख्या 512/ 2017

1. परसराम साहू, पुत्र स्व. नारायण साहू, उम्र 72 वर्ष, निवासी पोटियाकला, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. ऋषिराम साहू, पुत्र स्व. नारायण साहू, उम्र 70 वर्ष, निवासी पोटियाकला, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
3. राधेचरण साहू, पुत्र स्व. नारायण साहू, उम्र 68 वर्ष, निवासी पोटियाकला, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
4. a. श्रीमती सूरजाबाई, पत्नी स्व. दिलीप कुमार साहू, उम्र 55 वर्ष, निवासी पोटियाकला, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। b. दुलेश्वरी साहू, पत्नी स्व. दिलीप कुमार साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी पोटियाकला, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। c. चंद कुमारी साहू, पत्नी स्व. दिलीप कुमार साहू, उम्र 29 वर्ष, निवासी पोटियाकला, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
5. श्रीमती पार्वती बाई, पुत्री स्व. मयाराम, उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम बफरा, जालबांधा, जिला राजनादगांव, छत्तीसगढ़।
6. अशोकबाई, पुत्री स्व. मयाराम, उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम परसतराई, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
7. दीनाबाई, पुत्री स्व. मयाराम, उम्र 42 वर्ष, निवासी अंजोरा, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
8. पिताम्बर साहू, पुत्र विष्णु बिहारी, उम्र 60 वर्ष, निवासी पोटियाकला, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
9. विशाल साहू, पुत्र विष्णु बिहारी, उम्र 65 वर्ष, निवासी पोटियाकला, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
10. हुलेश्वर साहू, पुत्र स्व. खुमान सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी पोटियाकला, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
11. देवचरण, पुत्र स्व. नाथूराम साहू, उम्र 65 वर्ष, निवासी पोटियाकला, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।



12. नरसिंह साहू, पुत्र स्व. नाथूराम, उम्र 58 वर्ष, निवासी पोटियाकला, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
13. समंजान बाई, पुत्री स्व. प्रेम, उम्र 45 वर्ष, निवासी हनोदा, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

(पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों के माध्यम से)

1. जसवंत कुमार दरसेना, पिता महेश कुमार दरसेना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी जवाहर नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. तेज कुमार साहू, पिता परसराम साहू, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी पोटीयाकला, तहसील और जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्ता

1. छत्तीसगढ़ राज्य, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सचिव, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. आयुक्त, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
3. कलेक्टर, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
4. उप संभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
5. तहसीलदार, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

----- प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं की ओर से :	श्री शोभित कोष्टा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी/राज्य की ओर से :	श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, उप महाधिवक्ता।

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत

पीठ पर पारित आदेश



1. यह याचिका इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों की समीक्षा एवं नियंत्रण के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग हेतु प्रस्तुत की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी क्रमांक 2 - आयुक्त, दुर्ग द्वारा दिनांक 19.6.2017 को पारित आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की है, साथ ही यथोचित अन्य अनुग्रहात्मक राहतों की भी याचना की गई है।
2. याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि खसरा क्रमांक 396, 440 एवं 554, कुल क्षेत्रफल 11.139 हेक्टेयर (27.53 एकड़), जो ग्राम पोटियाकला, जिला दुर्ग में स्थित है, 1954-55 से याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व में है। दिनांक 15.1.2015 को हुए पटवारी निरीक्षण के पश्चात, याचिकाकर्ताओं की उक्त कृषि भूमि को त्रुटिपूर्ण ढंग से मवेशियों के चरागाह के रूप में अंकित कर दिया गया तथा उक्त भूमि के प्रबंधक के रूप में जिला कलेक्टर का नाम दर्ज कर दिया गया। जब याचिकाकर्ताओं को इस संशोधन की जानकारी मिली, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 116 सहपठित धारा 32 के अंतर्गत तहसीलदार के समक्ष राजस्व अभिलेखों से कलेक्टर का नाम विलोपित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे आदेश दिनांक 13.5.2016 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।
इसके पश्चात, याचिकाकर्ताओं ने उपविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के समक्ष अपील दायर की, जिसे आदेश दिनांक 30.8.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके उपरांत, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी क्रमांक 2 – आयुक्त, दुर्ग के समक्ष द्वितीय अपील दायर की, जिसे भी विवादित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अधिकार अभिलेखों के अनुसार, याचिकाकर्ता मनीहार, मायाराम, विष्णु, नाथूराम और प्रेम के उत्तराधिकारी हैं, जिनके नाम 1954-55 के अधिकार अभिलेखों में विवादित संपत्ति के संबंध में दर्ज थे। याचिका के साथ संलग्न वर्ष 1977-80 एवं 81 की खसरा पर्चशाला याचिकाकर्ताओं के कब्जे की पुष्टि करती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि सरकारी नहीं, बल्कि याचिकाकर्ताओं की निजी संपत्ति थी।

इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.3.2013 को एक परिपत्र जारी कर पटवारियों को अपने क्षेत्र की सरकारी भूमि, जैसे सेवा भूमि, चारागाह, गोठान आदि को चिन्हित कर कलेक्टर के नाम से दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश केवल सरकारी भूमि के लिए था।



दिनांक 15.1.2015 को संलग्नक-P/4 के तहत तहसीलदार को सौंपी गई पटवारी की रिपोर्ट में विवादित भूमि याचिकाकर्ताओं के नाम पर दर्ज थी, जिसमें उन्हें भूमि स्वामी के रूप में दिखाया गया था, और केवल यह उल्लेख किया गया था कि भूमि खाली है और मवेशियों की चराई के लिए उपयोग हो रही है। रिपोर्ट में भूमि को सरकारी भूमि के रूप में नहीं दर्शाया गया था, फिर भी खसरा पर्चशाला में संशोधन कर कलेक्टर को उक्त भूमि का प्रबंधक दिखाया गया। याचिकाकर्ताओं का नाम राजस्व अभिलेखों से नहीं हटाया गया, लेकिन इस प्रविष्टि से यह धारणा बन रही है कि विवादित भूमि सरकारी है।

4. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी क्रमांक 5/तहसीलदार के समक्ष छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 116 सहपठित धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे बिना विचार-विमर्श के यांत्रिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया। इसी प्रकार, प्रतिवादी क्रमांक 4/उपविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष दायर प्रथम अपील और प्रतिवादी क्रमांक 2/आयुक्त के समक्ष दायर द्वितीय अपील को भी यथावत यांत्रिक रूप से खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी क्रमांक 2 ने अपने आदेश में यह पाया कि भूमि याचिकाकर्ताओं के नाम दर्ज है और कोई साक्ष्य यह साबित नहीं करता कि भूमि सरकारी है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि से भूमि सार्वजनिक उपयोग में प्रतीत होती है और इस संबंध में कोई भी प्रविष्टि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 के तहत कलेक्टर के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। इसी आधार पर अपील को अस्वीकार कर दिया गया, जो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण आदेश है। साथ ही, यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-ए और अनुच्छेद 31 के तहत संवैधानिक अधिकार है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि द्वारा स्थापित प्राधिकारी या विधिक प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता।
5. याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय **State of Orissa vs. Dr. (Miss) Binapani Dei and Others** (1967) 2 SCR 625 एवं **Vidya Devi vs. State of Himachal Pradesh and Others** (2020) 2 SCC 569 पर आश्रित होकर उपर्युक्त राहतों की प्रार्थना की है।
6. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित राज्य के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह याचिका जसवंत कुमार दर्सेना द्वारा दायर की गई है, जो याचिकाकर्ताओं के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक होने का दावा करते हैं। यह याचिका 20.7.2017 को दायर की गई है। याचिका के साथ संलग्न पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति से स्पष्ट होता है कि यह पावर ऑफ अटॉर्नी 28.11.2014 को निष्पादित की गई थी, और शीर्षक के नीचे उल्लेख किया गया है



कि यह पावर ऑफ अटॉर्नी केवल दो वर्षों के लिए वैध रहेगी, जिसके बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए, इस पावर ऑफ अटॉर्नी की वैधता समाप्त होने के बाद दायर की गई याचिका विधिक रूप से मान्य नहीं है।

7. हल्का के पटवारी ने दिनांक 30.3.2013 के परिपत्र के अनुपालन में विवादित भूमि का निरीक्षण कर दिनांक 15.1.2015 को रिपोर्ट दी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि उपरोक्त भूमि खाली है और मवेशियों की चराई के लिए उपयोग हो रही है, इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया कब्जे का दावा निराधार है। चूंकि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की है, खसरा पर्चशाला में कलेक्टर को भूमि का प्रबंधक दर्ज किया गया। तहसीलदार द्वारा याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर, उपविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में, तथा आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश विधिसम्मत और सही हैं, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 2/आयुक्त ने अपने आदेश में सही रूप से कहा है कि याचिकाकर्ताओं के पास छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 के तहत उपाय उपलब्ध हैं। अतः यह याचिका निराधार है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
8. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने उत्तर में तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने लिखित उत्तर में इस रिट याचिका की स्वीकार्यता पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। पावर ऑफ अटॉर्नी के नोट से उसके प्रभाव का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, इसलिए यह याचिका विधिसम्मत है। राज्य के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य तर्कों का भी प्रतिवाद किया गया है।
9. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया।
10. सबसे पहले, रिट याचिका की स्वीकार्यता के प्रश्न पर विचार किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007 (संक्षेप में 'सी.जी. नियम, 2007') के नियम 43 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

'43. संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट, आदेश या निर्देश के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे याचिकाकर्ता, याचिकाकर्ताओं में से किसी एक, या मामले के तथ्यों से परिचित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समर्थित शपथ पत्र के साथ दायर किया जाएगा, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 के नियम 15 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट है। इसमें यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि क्या इसी विषय पर पूर्व में इस न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन दायर किया गया था, और यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या रहा।'



11. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 15(1) का उल्लेख किया गया है, जिसका प्रावधान इस प्रकार है:

'15. कथनों का सत्यापन— (1) जब तक किसी अन्य विधि में भिन्न रूप से प्रावधान न किया गया हो, प्रत्येक कथन का सत्यापन दलील प्रस्तुत करने वाले पक्ष द्वारा, या पक्षों में से किसी एक द्वारा, या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो और जिसका न्यायालय द्वारा संतोषजनक प्रमाण हो।'

12. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007 के नियम 43 और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 15(1) में यह कहीं भी निर्दिष्ट नहीं है कि रिट याचिका दायर करने या कथनों का सत्यापन करने वाला व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी धारक होना चाहिए।

13. सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रावधान रिट याचिकाओं पर कठोर रूप से लागू नहीं होते। सीपीसी के प्रावधान किस सीमा तक लागू होंगे, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और इसका उल्लेख छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007 के नियम 43 में किया गया है। पावर ऑफ अटॉर्नी की वैधता पर विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि पावर ऑफ अटॉर्नी में कोई नोट या स्व-सीमित धारा हो सकती है, पावर ऑफ अटॉर्नी अधिनियम, 1882 में इसकी निरस्ती या समाप्ति का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। सामान्यतः, पावर ऑफ अटॉर्नी को देने वाला व्यक्ति इसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से निरस्त कर सकता है। स्व-सीमित धारा वाले पावर ऑफ अटॉर्नी के मामलों में, पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को निरस्तीकरण के इरादे की सूचना देना आवश्यक होगा। न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने पावर ऑफ अटॉर्नी को निरस्त करने का कोई इरादा व्यक्त किया हो।

इस तर्क पर विस्तार से निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ नियम, 2007 के नियम 43 में यह स्पष्ट है कि याचिका याचिकाकर्ता स्वयं, या याचिकाकर्ताओं में से कोई एक, या ऐसा अन्य व्यक्ति दायर कर सकता है, जो न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार मामले के तथ्यों से परिचित हो, जैसा कि सीपीसी के आदेश 6, नियम 15 में उल्लिखित है। इसलिए, जसवंत कुमार दर्सेना द्वारा प्रस्तुत याचिका, जिसे उन्होंने शपथ पत्र द्वारा सत्यापित किया है और यह बयान दिया है कि वे मामले के तथ्यों से परिचित हैं और



याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिकृत हैं, नियम 43 के तहत विधिसम्मत मानी जाती है। इस आधार पर यह याचिका स्वीकार्य है।

14. मुख्य याचिका में दिए गए आधारों पर विचार किया गया। हल्का क्रमांक 23 के पटवारी द्वारा दिनांक 15.01.2015 को दी गई रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, और उस रिपोर्ट का आवश्यक अंश निम्नलिखित है:

ग्राम पोटियाकला प.ह.नं.23 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तह.व जिला दुर्ग स्थित
भूमि की जानकारी -

खसरा	नम्बर	रकबा	लगान
396	0.202	11.50	
440	9.807		
554	1.130		

कुल	3	11.139 हे.	11.50
-----	---	------------	-------

रुपये की भूमि 1. नारायण पिता मनिहार, 2. जंत्री पिता मनिहार, 3. दिलीप कुमार ना.बा. मयाराम पालक माँ व खुद 4. मिलापाबाई बेवा मयाराम, 5. पार्वती जौजे चेतन, 6. अशोक जौजे भोपाल, 7. दीनाबाई जौजे कल्याण, 8. खुमान सिंह पिता नाथूराम, 9. देवचरण पिता नाथूराम, 10. नरसिंह पिता नाथूराम, 11. केकती बेवा नाथूराम, 12. बिंणु पिता बिहारी, 13. प्रेम पिता जीतराम वो कुल काश्तकार साकिन पोटियाकला भूमिस्वामी के नाम पर उल्लेखित पाये गये।
वर्तमान में मौका चारागाह पशुओं को चराई के उपयोग किए जा रहे, खाली रिक्त भूमि है।

15. ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित संपत्ति के संबंध में कलेक्टर, दुर्ग का नाम प्रबंधक के रूप में दर्ज किया गया, जबकि याचिकाकर्ताओं का नाम, जो भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है, हटाए बिना यह प्रविष्टि एकतरफा और बिना किसी विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए की गई।
16. छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 यह प्रावधान करती है कि जब पटवारी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उसके आधार पर तहसीलदार को ऐसी रिपोर्ट का प्रकाशन करना आवश्यक होता है, ताकि संबंधित व्यक्तियों को आपत्ति दर्ज करने का



अवसर प्रदान किया जा सके। इसके पश्चात किसी भी प्रविष्टि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने या सुधारने से पहले उचित सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और प्रविष्टि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 4-9/सात-1/2013 दिनांक 30.3.2013 के अनुपालन में की गई, जिसके चलते प्रविष्टि को हटाया नहीं जा सकता। प्रथम अपील में उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार द्वारा की गई टिप्पणी से सहमति जताते हुए अपील को खारिज कर दिया। आयुक्त ने दूसरी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रविष्टि स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर की गई है और याचिकाकर्ताओं के पास छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 के अंतर्गत उपाय उपलब्ध हैं।

धारा 116 छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 यह प्रावधान करती है कि भूमि अभिलेखों में प्रविष्टि से पीड़ित व्यक्ति तहसीलदार के समक्ष प्रविष्टि में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है, और याचिकाकर्ताओं ने इसी के अनुसार तहसीलदार के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया।

17. छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 इस प्रकार है:

'237. निस्तार अधिकारों के उपयोग के लिए कलेक्टर द्वारा भूमि अलग करना — (1) इस संहिता के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, कलेक्टर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए खाली भूमि को अलग कर सकता है, अर्थात्—

- (a) लकड़ी या ईंधन के लिए आरक्षित;
- (b) चरागाह, घास बीर या चारे के लिए आरक्षित;
- (c) कब्रिस्तान और श्मशान भूमि;
- (d) गौठान;
- (e) पड़ाव स्थल;
- (f) खलिहान;
- (g) बाजार;



(h) चमड़ा उतारने का स्थान;

(i) खाद के गड्ढे;

(j) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, जैसे स्कूल, खेल मैदान, पार्क, सड़कें, गलियाँ, नालियाँ और इसी प्रकार की अन्य सुविधाएँ; तथा

(k) किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जिसे निस्तार अधिकारों के उपयोग के लिए निर्धारित किया जा सके।

(2) जो भूमि विशेष रूप से उपधारा (1) में उल्लिखित किसी उद्देश्य के लिए अलग की गई हो, उसे कलेक्टर की स्वीकृति के बिना अन्यथा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता।

18. उपरोक्त प्रावधान का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि कलेक्टर को छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए खाली भूमि को अलग करने का अधिकार प्राप्त है। यह प्रावधान कलेक्टर को किसी प्रविष्टि की सत्यता का निर्णय करने और उसे हटाने के आदेश पारित करने का कोई निर्णयात्मक अधिकार नहीं देता। किसी गलत प्रविष्टि को सुधारने का अधिकार विशेष रूप से छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115 और 116 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य (उल्लिखित) में भी इसी संबंध में अनुच्छेद 12.1 से 12.6 में टिप्पणी की है, जो इस प्रकार है:

12.1. अपीलकर्ता की संपत्ति 1967 में जबरन अधिग्रहित की गई थी, जब संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग III के अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 31 निजी संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता था, जैसा कि अनख सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2007 SCC Online HP 220) के मामले में देखा गया, जिसके बिना विधि द्वारा उचित प्रक्रिया और न्यायसंगत मुआवजा दिए बिना किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था।

12.2 संविधान (चौवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, लेकिन यह टुकाराम काना जोशी बनाम एमआईडीसी [(2013) 1 एससीसी 353] के अनुसार, एक कल्याणकारी राज्य में मानव अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार बना रहा। अनुच्छेद 300A यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को केवल विधिक प्राधिकार के आधार पर ही



उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। राज्य किसी नागरिक को उसकी संपत्ति से विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही बेदखल कर सकता है। यद्यपि अनुच्छेद 300A में मुआवजे के भुगतान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी इसे के.टी. प्लांटेशन (पी) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य [(2011) 9 एससीसी 1] में इस अनुच्छेद में निहित माना गया है।

12.3. किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से जबरन वंचित करना, बिना विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए, मानव अधिकार के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम दरियस शापुर चेनई [(2005) 7 एससीसी 627] में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह कहा गया:

"6. ... संविधान के अनुच्छेद 300A के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, राज्य 'प्रमुख अधिकार' (eminent domain) का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति के संपत्ति अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन यह हस्तक्षेप सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए और इसके लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।"

12.4. **N. Padmamma बनाम S. Ramakrishna Reddy [(2008) 15 SCC 517]** के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

"21. यदि संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार के साथ-साथ संवैधानिक अधिकार है, तो इसे केवल कानून के अनुसार ही छीना जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 300A इस अधिकार की रक्षा करता है। किसी अधिनियम के प्रावधान, जो इस अधिकार को वंचित करते हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 300A के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।"

12.5. **Delhi Airtech Services Pvt. Ltd. & Ors. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [(2011) 9 SCC 354]** के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी और निम्नलिखित शब्दों में कहा:

"संपत्ति का अधिकार न केवल संवैधानिक अधिकार है, बल्कि यह एक बुनियादी मानव अधिकार भी है। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानूनन व उचित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता।"



"30. यह प्रत्येक न्यायशास्त्र और विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा स्वीकार किया गया है कि संपत्ति का कुछ अधिकार सरकार के अत्याचार और आर्थिक उत्पीड़न के खिलाफ एक अपरिहार्य सुरक्षा है। जेफरसन का मानना था कि स्वतंत्रता संपत्ति के समर्थन के बिना लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। जॉन एडम्स की राय थी कि 'संपत्ति सुरक्षित होनी चाहिए, अन्यथा स्वतंत्रता अस्तित्व में नहीं रह सकती।' वास्तव में, यह विचार कि संपत्ति स्वयं संवैधानिक मूल्यों की उर्वरक भूमि है, जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि अन्य संवैधानिक मूल्यों का विकास हो सके, राजनीतिक विचारकों और न्यायविदों के बीच सहमति का विषय है।"

"48. ...अन्य शब्दों में, अनुच्छेद 300A केवल राज्य की शक्तियों को सीमित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से तब तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि विधि द्वारा उसे वंचित करने का अधिकार न हो। कानून की स्वीकृति के बिना कोई वंचन नहीं होना चाहिए। किसी अन्य तरीके से किया गया वंचन अनुच्छेद 300A के अंतर्गत अधिग्रहण या कब्जा नहीं माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई कानून नहीं है, तो कोई वंचन नहीं हो सकता।"

"संविधान प्रत्येक नागरिक को राज्य की मनमानी शक्ति के प्रयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।"

19. वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा विवादित संपत्ति के स्वामित्व पर कोई असहमति या विवाद नहीं है। 15.1.2015 की पटवारी की रिपोर्ट का राजस्व अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.3.2013 के परिपत्र का अनुपालन करते हुए अत्यधिक गलत अर्थ निकाला गया है। उक्त परिपत्र में विशेष रूप से उन शासकीय भूमि का उल्लेख किया गया है जिन्हें सेवा भूमि, चारागाह, गोठान, संयुक्त चारागाह आदि के रूप में चिह्नित किया गया है, और ऐसे मामलों में कलेक्टर को भूमि का प्रबंधक के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। परिपत्र में किसी अप्रयुक्त निजी भूमि का उल्लेख नहीं है।

20. 15.1.2015 की पटवारी की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि याचिकाकर्ताओं के नाम पर दर्ज है, जिसमें यह नोट किया गया है कि वर्तमान में भूमि को चारागाह के रूप में उपयोग किया जा रहा है और यह खाली भूमि है। केवल खाली भूमि होने से यह स्वतः यह अर्थ नहीं निकलता कि ऐसी भूमि किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। आगे, रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि का उपयोग पशुओं के चरने के लिए किया जा रहा है, और इसका यह अर्थ नहीं है कि भूमि का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह विशिष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है कि भूमि याचिकाकर्ताओं के कब्जे



में नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार से खासरा पचशाला में कलेक्टर, दुर्ग को इन भूमियों का प्रबंधक दर्ज किया गया है, वह छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया है।

21. 13.5.2016 का तहसीलदार का आदेश इस बात का कोई कारण नहीं बताता कि प्रविष्टि क्यों की गई, केवल यह उल्लेख करना कि 30.3.2013 का परिपत्र इसका कारण है, पर्याप्त नहीं है। उपमंडल अधिकारी ने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने का ध्यान नहीं रखा और 13.5.2016 का आदेश बिना उचित विचार के पारित किया। इसी प्रकार, 19.6.2017 का आदेश, जो प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित किया गया था, भी बिना उचित विचार का प्रतीत होता है। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 5 और प्रतिवादी क्रमांक 2 और 4 के पास छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 116 के साथ पढ़ी गई धारा 32 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवाद पर विचार करने और निर्णय करने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने इस अधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण याचिकाकर्ताओं को इतने लंबे समय तक उत्पीड़न सहना पड़ा। यह मामला ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को विवादित संपत्ति से बेदखल कर दिया गया हो या उनके भूमिस्वामी अधिकार को छीना गया हो। याचिकाकर्ता तहसीलदार, उपमंडल अधिकारी, आयुक्त और फिर इस न्यायालय के समक्ष इस कारण से उपस्थित हैं कि एक प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण रूप से की गई थी, जिसमें कलेक्टर, दुर्ग को विवादित संपत्ति का प्रबंधक दिखाया गया था, जो याचिकाकर्ताओं की निजी संपत्ति है। राजस्व अभिलेखों और पटवारी की 15.1.2015 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रविष्टि निश्चित रूप से गलत थी और इसे राज्य सरकार के 30.3.2013 के परिपत्र का पालन नहीं कहा जा सकता।

22. उपर्युक्त विवेचना और निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर, यह याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। प्रतिवादी क्रमांक 2, प्रथम अपीलीय न्यायालय और तहसीलदार द्वारा पारित आदेशों को रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे खसरा पचशाला में कलेक्टर, दुर्ग (प्रतिवादी क्रमांक 3) को विवादित भूमि का प्रबंधक दिखाने वाली प्रविष्टियों को हटा दें और याचिकाकर्ताओं को विवादित भूमि के कब्जाधारी के रूप में पुनः स्थापित करें। इस आदेश का पालन आदेश पारित होने की तिथि से दो माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।"

23. तदनुसार, याचिका का निपटारा किया जाता है।

सही/-
(राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत)
न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

